

जिला सेवायोजन कार्यालय, बिजनौर।

1. कृत्य— बेरोजगार अभ्यार्थियों का पंजीयन एवं सेवायोजन सहायता हेतु मार्गदर्शन
2. अधिकारी द्वारा सी.एन.वी.एक्ट.-1959 की धारा-6 के अन्तर्गत नियोजकों के यहाँ कार्यरत कर्मचारियों से सम्बन्धित पत्रावली, वेतन बिल, नियुक्ति पत्रावलियों का निरीक्षण एवं कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों का दायित्व सौंपना जैसे: पंजीयन, रिक्ति, रोजगार बाजार सूचना व्यवसाय मार्गदर्शन के साथ-साथ अपने अधिनस्थ चल रहे शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति, एवं अन्य पिछडा वर्ग के अभ्याथियों को कार्यालय प्रबन्धन का प्रशिक्षण दिलया जाना है।
3. सेवायोजन कार्यालय की कार्य प्रणाली के पालन का उत्तरदायित्व जिला सेवायोजन अधिकारी निर्वाह करते है।
4. शासन/विभागाध्यक्ष से प्राप्त निर्देशों का अनुपालन।
5. अधिनियम 1959 की धारा-6 के अन्तर्गत निरीक्षण का अधिकार एवं व्यवसाय कोड निर्देशिका।
6. —
7. —
8. —
9. **जिला सेवायोजन कार्यालय बिजनौर।**

स्टाफ पोजीशन

जिला रोजगार योजना		
	स्वीकृत पद	भरे पद
1. जिला सेवायोजन अधिकारी	1	—
2. अन्वेषक कम संगणक	1	—
3. उच्चकृत वरिष्ठ सहायक	1	1
4. वरिष्ठ सहायक	5	5
5. कनिष्ठ लिपिक	3	2
6. चतुर्थ श्रेणी	2	2
7. स्वीपर कम चौकीदार	1	1
8. उर्दू अनु० सह वरि० लिपिक	—	1
शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र योजना		
1. सहायक सेवायोजन अधिकारी	1	—
2. अनुदेशक	3	2

3. कनिष्ठ लिपिक	1	1
4. चतुर्थ श्रेणी	1	1

प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना

1. कनिष्ठ लिपिक	1	1
-----------------	---	---

-
10. मासिक वेतन जिसमें राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य भत्ते सहित।
11. —
12. छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति/जनजाति
13. —
14. —
15. व्यक्तिगत रूप से मांगने पर सूचना अधिकार अधिनियम की धनराशि प्राप्त होने पर।
16. जिला सेवायोजन अधिकारी (स्थानान्तरण के फलस्वरूप पद रिक्त)